



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो,

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर

द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: [ro.raipur@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur@ibm.gov.in)

उल्लंघन पत्र

रजि. ए.डी./ई-मेल

वसुधैव कुटुम्बकम्  
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सं- CHG/DRG/LST-2/NGP/Vol-II

दिनांक:-26.12.2023

प्रेषिति-

श्री श्री अजय कपूर,  
नामित खान मालिक,  
जामुल चूनापत्थर खान,  
सर्वश्री ए.सी.सी. लिमिटेड,  
सीमेंट हाउस-121, एम के रोड,  
मुंबई, महाराष्ट्र-400020  
ईमेल- [ajay.kapur@adani.com](mailto:ajay.kapur@adani.com)

श्री सुरेश दुबे, खान एजेंट,  
जामुल चूनापत्थर खान,  
सर्वश्री ए.सी.सी. लिमिटेड,  
जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला-दुर्ग,  
छत्तीसगढ़ -490024  
ईमेल- [suresh.dubey@adani.com](mailto:suresh.dubey@adani.com)

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपके जामुल चूनापत्थर खान (38MPR13001) 269.96 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) [MCDR, 2017 as amended] के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 01.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री अरविन्द भाऊराव जादे, खान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	<p>The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated 18.07.2023 to the extent indicated below:-</p> <p>i. Backfilling has not been carried out as proposed in the approved Modification of Review of Mining Plan. Lateral extension of backfilling has been carried out less than proposed; against backfilling proposal up to the grid E-537600 to E-537840 and N-2350500 to N-2350760, the backfilling observed carried out only up to the grid E-537500 to E-537760 and N-2350480 to N-2350720. This has also resulted in increase of overall height of the backfilled area than proposed.</p> <p>Hence, above are observed to be against the systematic &amp; scientific development of the mine and also against the protection of environment in the mine.</p>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने पर आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

I/22470/2023

I/22470/2023

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश)  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा)

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001 ।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो